विज्ञापन संख्या– 01/2026 के अनुसार जन वितरण प्रणाली दुकानों की नयी अनुज्ञप्ति हेतु प्रकाशित औपबंधिक मेधा सूची के विरूद्ध प्राप्त दावा/आपत्ति की विवरणी

प्रखंड–मखदुमपुर

क्र0	दावा/आपत्तिकर्त्ता का नाम एवं पता मोबाईल नं0 सहित	वार्ड/पंचायत	प्रखंड/नगर निकाय	दावा/आपत्ति प्राप्ति की तिथि	दावा/आपत्ति आवेदन के साथ संलग्न कागजातों की सूची	अभ्युक्ति
1	रवि उत्सव, पिता–शम्भु प्रसाद, ग्राम–खलकोचक थाना+पोस्ट–मखदुमपुर, जिला–जहानाबाद। मो0 नं0–7277155090	वार्ड नं0–13	मखदुमपुर।	06-06-2026	मैट्रिक, इन्टर एवं B.Tech अंक प्रमाण–पत्र की छाया प्रति।	1. आवेदक के द्वारा समर्पित दावा आपति में मैट्रिक, इटर एव बी० टेक का अंक प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराते हुए आवेदन में संलग्न करने का अनुरोध से सबधित है। उक्त के सदर्भ में कहना है कि आवेदक के द्वारा उपलब्ध कराया गया मैट्रिक,इटर एव बी० टेक का अक प्रमाण–पत्र का निर्गत का तिथि विज्ञापन सं० 01/2026 के पूर्व का है। जिसके आलोक में मैट्रिक, इंटर एवं बी० टेक का अंक प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र में संलग्न किया जाता सकता है साथ ही यह निर्देश दिया जा सकता है कि उक्त दस्तावेज फर्जी पाया जाता है तो आवेदक पर विधि सम्वत उच्चीत कार्रवाई कर दी जायेगी।
2	विकास कुमार पिता–अनुज कुमार, ग्राम+पोस्ट–सुगाँव थाना–मखदुमपुर, जिला–जहानाबाद। मो0 नं0–9304999887	वार्ड नं0–11	मखदुमपुर।	06-06-2026	कम्प्यूटर योग्यता BCA Provisional अंक प्रमाण–पत्र की छाया प्रति।	1. आवेदक के द्वारा समर्पित दावा आपति में कम्प्यूटर योग्यता BCA Provisional का अंक प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराते हुए आवेदन में संलग्न करने का अनुरोध से सबंधित है। उल्लेखनिये है कि अभ्यिार्थी के द्वारा मूल आवेदन में पूर्व से MCA अंक प्रमाण–पत्र संलग्न है। आवेदक के द्वारा दावा आपति में पूनः उपलब्ध कराया गया कम्प्यूटर योग्यता BCA Provisional का अंक प्रमाण–पत्र का निर्गत का तिथि विज्ञापन सं० 01/2026 के पूर्व का है। जिसके आलोक में कम्प्यूटर योग्यता BCA Provisional अंक प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र में संलग्न किया जाता सकता है साथ ही यह निर्देश दिया जा सकता है कि उक्त दस्तावेज फर्जी पाया जाता है तो आवेदक पर विधि सम्मत कार्रवाई कर दी जायेगी
3	विपुल निशात पिता–अजय कुमार, ग्राम–कोयली, पोस्ट–सागरपुर ग्राम पंचायत–मझोस थाना–मखदुमपुर, जिला–जहानाबाद।	वार्ड नं0–08	मखदुमपुर।	06-06-2026	जाति प्रमाण–पत्र की छाया प्रति।	1. आवेदक के द्वारा समर्पित दावा अपति में जाति प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराते हुए आवेदन में संलग्न करने का अनुरोध से संबंधित है। उक्त के सदर्भ में कहना है कि आवेदक के द्वारा उपलब्ध कराया गया गैरआरक्षित वर्ग से संबंधित जाति प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया गया है जिसका निर्गत तिथि विज्ञापन सं० 01/2026 के पूर्व का है। जिसके आलोक में जाति प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र में संलग्न किया जाता सकता है साथ ही यह निर्देश दिया जा सकता है कि उक्त दस्तावेज फर्जी पाया जाता है तो आवेदक पर विधि सम्मत कार्रवाई कर दी जायेगी
4	तनु प्रिया कुमारी पति–सूर्येश कुमार ग्राम–मुस्सी, वार्ड नं0–17 थाना–मखदुमपुर, जिला–जहानाबाद। मो0 नं0–9835985344	वार्ड नं0–17	मखदुमपुर।	06-06-2026	मैट्रिक अंक प्रमाण–पत्र की छाया प्रति।	1. आवेदक के द्वारा समर्पित दावा आपति में मैट्रिक अंक प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराते हुए आवेदन में संलग्न करने का अनुरोध से संबंधित है। उक्त के सदर्भ में कहना है कि आवेदक के द्वारा उपलब्ध कराया गया मैट्रिक अंक प्रमाण–पत्र का निर्गत का तिथि विज्ञापन सं० 01/2026 के पूर्व का है। जिसके आलोक में मैट्रिक अंक आवेदन पत्र में संलग्न किया जाता सकता है साथ ही यह निर्देश दिया जा सकता है कि उक्त दस्तावेज फर्जी पाया जाता है तो आवेदक पर विधि सम्मत कार्रवाई कर दी जायेगी।

1+4

5	सबीता कुमारी पति–रोहित कुमार ग्राम+पोस्ट–मझोस प्रखड–मखदुमपुर जिला–जहानाबाद (बिहार) पिन कोड–804424 मोबाईल न0–7600956466	वार्ड न0–14	प्रखड–मखदुमपुर	08/06/2026	कम्प्यूटर सर्टिफिकेट का छाया प्रति	1. आवेदक के द्वारा समर्पित दावा आपति में कम्प्यूटर योग्यता का अंक प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराते हुए आवेदन में संलग्न करने का अनुरोध से संबधित है। उक्त के संदर्भ में कहना है कि आवेदक के द्वारा उपलब्ध कराया गया कम्प्यूटर योग्यता का अक प्रमाण–पत्र का निर्गत का तिथि विज्ञापन सं० 01/2026 के पूर्व का है। जिसके आलोक में कम्प्यूटर योग्यता अक प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र में सलग्न किया जाता सकता है साथ ही यह निर्देश दिया जा सकता है कि उक्त दस्तावेज फर्जी पाया जाता है तो आवेदक पर विधि सम्मत कार्रवाई कर दी जायेगी।
6	सजीत कुमार पिता–विनोद कुमार ग्राम–छज्जोपुर पोस्ट–छरियारी थाना–मखदुमपुर जिला–जहानाबाद वार्ड नं0–07 मोबाईल नं0–9122183906	7 वार्ड पंचायत छरियारी	प्रखंड–मखदुमपुर	09/06/2026	आटा चक्की का छाया प्रति फोटो कॉपी लगाया गया है एवं दो का सरकारी नौकरी है। 1. गौतम कुमार अति पिछर्ड़ा वर्ग के है। 2. चितरंजन कुमार सरकारी नौकरी पिता के है, और गलत पता है। 3 नितु कुमारी के किराना दुकान है। 4. सरिता कुमारी के पति का सरकारी नौकरी है। 5. सत्य प्रकाश कुमार इसका आटा–चक्की का मिल है। 6.साधना कुमारी पति का सरकारी नौकरी है। 7. रूपा कुमारी पति इसका जाति प्रमाण–पत्र प्रति नहीं है।	1. आवेदक के द्वारा समर्पित आवेदन में आपति जताया गया है जो निम्नप्रकार है– उकत के सदर्भ में कहना है कि 1.गौतम कुमार है जो अति पिछड़ा वर्ग में है जबकी दावा किया गया कि गौतम कुमार समान्य वर्ग में औपबंधिक सूची दर्ज में किया गया है। 2. चितरंजन कुमार जॉचोपरान्त पाया गया कि इनके पिता किसान है। साथ ही विभागीय नियामानुसार अभ्यर्थी के स्वयः सरकारी लाभ पद पर नही होना चाहिय। 3 प्राप्त जानकारी के अनुसार अभ्यर्थी के नाम से कोई अनुज्ञप्ति निर्गत नही है 4.अभ्यर्थी के परिवार में सरकारी नौकारी होने से अभ्यर्थी का आवेदन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ता हैं 5.स्थलीय जॉच में अभ्यिर्थी एव अभ्यिर्थी के निकट सबधित के नाम कोई आटा–चक्की हो मिल नही पाया गया। 6. अभ्यर्थी के परिवार में सरकारी नौकारी होने से अभ्यर्थी का आवेदन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ता हैं 7.अभ्यर्थी रूपा कुमारी के द्वारा दावा आपति में जाति प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराये जाने के उपरांत आवश्यक विचार किया जा सकता।
7	सुरज कुमार पिता–भीम कुमार पता:–नगर पचायत मखदुमपुर वार्ड नं0–12 मो0 नं0–9801288378	वार्ड नं0–12	प्रखंड–मखदुमपुर	09/06/2026	1. KYP प्रमाण–पत्र का छाया प्रति। 2. दिव्यांग प्रमाण–पत्र का छाया प्रति।	1. आवेदक के द्वारा समर्पित दावा आपति में का KYP प्रमाण–पत्र एवं दिव्यांग प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराते हुए आवेदन में संलग्न करने का अनुरोध से संबधित है। उक्त के संदर्भ में कहना है कि आवेदक के द्वारा पूर्व से मूल आवेदन में BS CIT अंक प्रमाण पत्र एवं दिव्यांगता प्रमाण–पत्र (लोकोमोटर 50 प्रतिशत) संलग्न है। प्राप्त दावा आपति के अवलोकोनोपरान्त सुरज कुमार के अधिकतम शैक्षणिक योग्ता पर विचार करते हुये मेघा सूची में आवश्यक सुधार किया जा सकता है। उपलब्ध प्रमाण–पत्र का निर्गत तिथि विज्ञापन सं० 01/2026 के पूर्व का है। साथ ही यह निर्देश दिया जा सकता है कि उक्त दस्तावेज फर्जी पाया जाता है तो आवेदक पर विधि सम्मत उच्चीत कार्रवाई कर दी जायेगी

8	मो0 फरहान पिता–मो0 खुर्शीद आलम ग्राम–बगवार वार्ड न0–03 पंचायत–सुगाँव प्रखंड–मखदुमपुर जिला–जहानाबाद मो0 न0–9135088427	वार्ड न0–03 पंचायत–सुगाँव	प्रखंड–मखदुमपुर	09/06/2026	10^{th} एवं 12^{th} का मार्क्सशीट एवं सर्टिफिकेट का छाया प्रति संलग्न है एवं B.Com Part-01 का मार्क्सशीट का छाया प्रति। निवास प्रमाण–पत्र का छाया प्रति। गैर आरक्षित प्रमाण–पत्र का छाया प्रति। व्यापार स्थल का जमीन रसीद का वसिका का छाया प्रति। स्पीड पोस्ट का छाया प्रति। DCA और DTP Computer का छाया प्रति।	1. आवेदक के द्वारा समर्पित दावा आपति में का सभी अंक प्रमाण–पत्र एवं अन्य प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराते हुए आवेदन में संलग्न करने का अनुरोध से संबंधित है। उक्त के संदर्भ में कहना है लिपिकीये भूलवस अभ्यर्थी मो० फरहान की प्रविष्टी औपबंधिक मेघा /वरियता सूची में प्रकाशित नही हो सका। आवेदक के द्वारा उपलब्ध कराया गया सभी अंक प्रमाण–पत्र एवं अन्य प्रमाण–पत्र का निर्गत का तिथि विज्ञापन सं० 01/2026 के पूर्व का है। जिसके आलोक में सभी मूल आवेदन पत्र में संलग्न करते हुये मो० फरहान का नाम मेघा सूची में प्रविष्टी किया जा सकता है। साथ ही यह निर्देश दिया जा सकता है कि उक्त दस्तावेज फर्जी पाया जाता है तो आवेदक पर विधि सम्मत उच्चीत कार्रवाई कर दी जायेगी
9	अंजली कुमारी पति–प्रणय कुमार ग्राम+पोस्ट–सागरपुर थाना–मखदुमपुर जिला–जहानाबाद मोबाईल न0–9304711016	वार्ड–06 पंचायत–मंझोस	प्रखंड–मखदुमपुर	10/06/2026		1. आवेदक के द्वारा समर्पित दावा आपति में गैर आरक्षीत महिला वर्ग आवेदन में संलग्न करने का अनुरोध से संबंधित है। उक्त के संदर्भ में कहना है कि अभ्यर्थी के उक्त श्रेणी में पूर्व से सम्मलित है ।
10	राहुल कुमार राज पिता–ललन प्रसाद गुप्ता ग्राम+पोस्ट–मंझोस थाना–मखदुमपुर जिला–जहानाबाद मो0 न0–9608230308	पंचायत–मझोस	प्रखंड–मखदुमपुर	10/06/2026	जाति प्रमाण–पत्र एवं व्यापार स्थल का छाया प्रति।	1. आवेदक के द्वारा समर्पित दावा आपति में जाति प्रमाण–पत्र एवं व्यापाल स्थल उपलब्ध कराते हुए आवेदन में संलग्न करने का अनुरोध से संबंधित है। उक्त के संदर्भ में कहना है कि आवेदक के द्वारा उपलब्ध कराया गया जाति प्रमाण–पत्र एवं व्यापार स्थल का निर्गत का तिथि विज्ञापन सं० 01/2026 के पूर्व का है। जिसके आलोक में जाति प्रमाण–पत्र एवं व्यापार स्थल आवेदन पत्र में संलग्न किया जाता सकता है साथ ही यह निर्देश दिया जा सकता है कि उक्त दस्तावेज फर्जी पाया जाता है तो आवेदक पर विधि सम्मत कार्रवाई कर दी जायेगी।
11	ज्योति कुमारी पति–दिलीप कुमार ग्राम–कोहरा पोस्ट+थाना–टेहटा पंचायत–कोहरा जिला–जहानाबाद मो0 न0–7322801874	07/कोहरा	प्रखंड–मखदुमपुर	10/06/2026	1 मध्यमा अंक प्रमाण–पत्र की छाया प्रति तथा कम्प्यूटर अंक प्रमाण–पत्र का छाया प्रति।	1. आवेदक के द्वारा समर्पित दावा आपति में मध्यमा अंक प्रमाण–पत्र एवं कम्प्यूटर अंक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुए आवेदन में संलग्न करने का अनुरोध से संबंधित है। उक्त के संदर्भ में कहना है कि आवेदक के द्वारा उपलब्ध कराया गया मध्यमा अंक प्रमाण–पत्र एव कम्प्यूटर अंक प्रमाण पत्र का निर्गत का तिथि विज्ञापन सं० 01/2026 के पूर्व का है। जिसके आलोक में मध्यमा अंक प्रमाण–पत्र एवं कम्प्यूटर अंक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र में संलग्न किया जाता सकता है साथ ही यह निर्देश दिया जा सकता है कि उक्त दस्तावेज फर्जी पाया जाता है तो आवेदक पर विधि सम्मत कार्रवाई कर दी जायेगी।

12	प्रिंस कुमार ग्राम+पोस्ट–बिर्रा पंचायत–बेला बिर्रा प्रखंड–मखदुमपुर जिला–जहानाबाद पिन कोड–804405 मो0 नं0–8873101751	बेला–बिर्रा पंचायत, वार्ड नं0–03	प्रखंड–मखदुमपुर	11/06/2026	कम्प्यूटर प्रमाण–पत्र का छाया प्रति।	1. आवेदक के द्वारा समर्पित दावा आपत्ति में कम्प्यूटर अंक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुए आवेदन में संलग्न करने का अनुरोध से संबंधित है। उक्त के संदर्भ में कहना है कि आवेदक के द्वारा उपलब्ध कराया गया कम्प्यूटर अंक प्रमाण पत्र का निर्गत का तिथि विज्ञापन सं० 01/2026 के पूर्व का है। जिसके आलोक में कम्प्यूटर अंक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र में संलग्न किया जाता सकता है साथ ही यह निर्देश दिया जा सकता है कि उक्त दस्तावेज फर्जी पाया जाता है तो आवेदक पर विधि सम्मत कार्रवाई कर दी जायेगी।
13	अमित कुमार पिता–प्रेम कुमार ग्राम+पोस्ट–मझोस थाना–मखदुमपुर जिला–जहानाबाद मो0 नं0–8825332611	15 पंचायत मंझोस	प्रखंड–मखदुमपुर	11/06/2026	1. मैट्रिक अंक प्रमाण–पत्र की छाया प्रति। 2. जमीन के छाया प्रति।	1. आवेदक के द्वारा समर्पित दावा आपत्ति में मैट्रिक अंक प्रमाण पत्र एवं जमीन दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए आवेदन में संलग्न करने का अनुरोध से संबंधित है। उक्त के संदर्भ में कहना है कि आवेदक के द्वारा उपलब्ध कराया गया मैट्रिक अंक प्रमाण पत्र एवं जमीन दस्तावेज प्रमाण पत्र का निर्गत का तिथि विज्ञापन सं० 01/2026 के पूर्व का है। जिसके आलोक में मैट्रिक अंक प्रमाण पत्र एवं जमीन दस्तावेज प्रमाण पत्र आवेदन पत्र में संलग्न किया जाता सकता है, साथ ही यह निर्देश दिया जा सकता है कि उक्त दस्तावेज फर्जी पाया जाता है तो आवेदक पर विधि सम्मत कार्रवाई कर दी जायेगी।
14	अनिता कुमारी पति–अशु कुमार ग्राम+पोस्ट–सेरथुआ पचायत–कोहरा प्रखंड–मखदुमपुर जिला–जहानाबाद मो0 नं0–6207473734	02 वार्ड	प्रखंड–मखदुमपुर	11/06/2026	मैट्रिक अंक प्रमाण–पत्र की छाया प्रति।	1. आवेदक के द्वारा समर्पित दावा आपत्ति में मैट्रिक अंक प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराते हुए आवेदन में संलग्न करने का अनुरोध से संबंधित है। उक्त के संदर्भ में कहना है कि आवेदक के द्वारा उपलब्ध कराया गया मैट्रिक अंक प्रमाण–पत्र का निर्गत का तिथि विज्ञापन सं० 01/2026 के पूर्व का है। जिसके आलोक में मैट्रिक अंक आवेदन पत्र में संलग्न किया जाता सकता है साथ ही यह निर्देश दिया जा सकता है कि उक्त दस्तावेज फर्जी पाया जाता है तो आवेदक पर विधि सम्मत कार्रवाई कर दी जायेगी।
15	रिना कुमारी पति–उमेश कुमार ग्राम–पलैया, वार्ड नं0–04 नगर पचायत मखदुमपुर (जहानाबाद) पिन कोड–804422 मो0 नं0–8102282280	वार्ड नं0–04 नगर पचायत मखदुमपुर	प्रखंड–मखदुमपुर	11/06/2026	i. ADCA का अंक प्रमाण–पत्र का छया प्रति। ii. ADCA का सर्टिफिकेट का छया प्रति। iii. स्वय सहायता समूह का छाया प्रति।	1. आवेदक के द्वारा समर्पित दावा आपत्ति में कम्प्यूटर योग्यता ADCA का अंक प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराते हुए आवेदन में सलग्न करने का अनुरोध से सबंधित है। उक्त के संदर्भ में कहना है कि आवेदक के द्वारा उपलब्ध कराया गया कम्प्यूटर योग्यता ADCA का अंक प्रमाण–पत्र का निर्गत का तिथि विज्ञापन सं० 01/2026 के पूर्व का है। जिसके आलोक में कम्प्यूटर योग्यता ADCA अंक प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र में संलग्न किया जाता सकता है साथ ही यह निर्देश दिया जा सकता है कि उक्त दस्तावेज फर्जी पाया जाता है तो आवेदक पर विधि सम्वत उच्चीत कार्रवाई किया जा सकता है साथ औपबधित मेघा सूची में क्र०स० 01. मुस्कान कुमारी है जिनका उम्र विज्ञापन सख्या 01/2016 जारी होने से पूर्व उम्र सीमा 18 वर्ष से कम है जो कि विभगिये प्राबंधानानुसार सार्वजनिक ज० वि० के लिये योग नही है, अतः क्र०स० 01. अभ्यार्थी मुस्कान कुमारी के जन वितरण प्रणाली विक्रेता की आवेदन का अस्वीकृत किया जा सकता है।

16	सगीता कुमारी पति–पिन्टु कुमार ग्राम+पो0–उमता पचायत–धरनई प्रखड–मखदुमपुर जिला–जहानाबाद मो0 न0–6207149208	वार्ड न0–05 पचायत–धरनई	प्रखड–मखदुमपुर	11/06/2026	कम्प्यूटर प्रमाण–पत्र का छाया प्रति सलग्न।	1. आवेदक के द्वारा समर्पित दावा आपति में कम्प्यूटर अंक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुए आवेदन में संलग्न करने का अनुरोध से सबधित है। उक्त के सदर्भ में कहना है कि आवेदक के द्वारा उपलब्ध कराया गया कम्प्यूटर अंक प्रमाण पत्र का निर्गत का तिथि विज्ञापन सं० 01/2026 के पूर्व का है। जिसके आलोक में कम्प्यूटर अंक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र में सलग्न किया जाता सकता है साथ ही यह निर्देश दिया जा सकता है कि उक्त दस्तावेज फर्जी पाया जाता है तो आवेदक पर विधि सम्मत कार्रवाई कर दी जायेगी ।
17	रूपम कुमारी ग्राम+पोस्ट–नेर थाना–मखदुमपुर जिला–जहानाबाद राज्य–बिहार, पिन कोड–804422 मो0 न0–9430508249	वार्ड न0–17 मुस्सी मखदुमपुर	मखदुमपुर नगर परिषद	12/06/2026	औपबंधिक परिणाम की छायाप्रति की कॉपी	1. आवेदक के द्वारा समर्पित दावा आपति में स्थानिय निवासी नही होने के बाबजूद भी रिक्ती वार्ड 17 के नजदीक में रहने के कारण स्वय चयन करने के अनुरोध से सबधित है। उक्त के सदर्भ में कहना है किबिहार लक्ष्यित सार्वजजिक वितरण प्रणाली (नियत्रण) आदेश–2016 कण्डीका–8(5) के अनुसार सबधित पचायत/वार्ड अभ्यर्थी को प्राथमिकता देने के प्रावधान है। अत: इनका दावा अस्वीकृत किया जा सकता हैं।
18	रजीत कुमार पिता–रामानन्द ठाकुर ग्राम–मखदुमपुरडीह थाना–मखदुमपुर वार्ड न0–12 जिला–जहानाबाद मो0 न0–9835531837	वार्ड न0–12	प्रखड मखदुमपुर नगर निकाय	12/06/2026	1. औपबंधिक वरीयता सूची 2. एफिडेफिट 3. जमीन का शपथ–पत्र 4. आधार कार्ड की छाया प्रति 5. पेन कार्ड का छाया प्रति 6.जमीन का छाया प्रति 7. एक और जमीन का छाया प्रति। 8.लगान रसीद का छाया प्रति 9. LPC का छाया प्रति 10 आचरण का आवेदन रसीद 11. संपति कर प्राप्ति रसीद छाया प्रति 12. स्पीड पोस्ट का छाया प्रति	1. परिवादी/अभ्यर्थी के द्वारा श्री रंजीत कुमार पिता– रामान्दन ठाकुर नगर पचायत वार्ड संख्या– 12 के द्वारा समर्पित दावा अपति में व्यापार स्थल संबधित कागजात मूल्य आवेदन सम्मलित करने का अनुरोध किया गया हैं उक्त के संदर्भ में कहना है कि स्थलीय जॉच के दौरण आवेदिका मकान निर्मित पाया गया उल्लेखनीये है बिहार लक्ष्यित सार्वजजिक वितरण प्रणाली (नियत्रण) आदेश–2016 कण्डीका–17(1) के अनुसार व्यापार स्थल परिर्वतनीय है यदि अनुज्ञप्ति में वर्णीत आवश्यक वस्तु का भण्डारण स्थल या व्यापार स्थल में परिर्वतन चाहता है तो वह इसके लिए अनुज्ञापन पदाधिकारी को कारण बताते हुए एवं परिर्वतन हेतु प्रस्तावित स्थल की पहचान संबधित विवरण अंकित करते हुए एक लिखित आवेदन पत्र समर्पित करने का प्रधान है।
19	मीनु कुमारी पति–नवनीत कुमार ग्राम+पोस्ट–तिलकई पचायत–बेला बिर्रा प्रखड–मखदुमपुर जहानाबाद मो0 न0–8709858254	पंचायत बेला बीरा	प्रखड–मखदुमपुर	12/06/2026	मैट्रिक के अंक प्रमाण–पत्र की छाया प्रति।	1. आवेदक के द्वारा समर्पित दावा आपति में मैट्रिक अंक प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराते हुए आवेदन में संलग्न करने का अनुरोध से संबधित है। उक्त के संदर्भ में कहना है कि आवेदक के द्वारा उपलब्ध कराया गया मैट्रिक अंक प्रमाण–पत्र का निर्गत का तिथि विज्ञापन सं० 01/2026 के पूर्व का है। जिसके आलोक में मैट्रिक अंक आवेदन पत्र में संलग्न किया जाता सकता है साथ ही यह निर्देश दिया जा सकता है कि उक्त दस्तावेज फर्जी पाया जाता है तो आवेदक पर विधि सम्मत कार्रवाई कर दी जायेगी।

20	रिया रानी पिता–संजय सिंह ग्राम+थाना–टेहटा प्रखंड–मखदुमपुर वार्ड न0–01 जहानाबाद मो0 न0–9241755043	वार्ड न0–01 पचातय पूर्वी सरेन	प्रखंड–मखदुमपुर	12/06/2026		1. परिवादी/अभ्यर्थी का समर्पित दावा आपति में स्वय का अति पिछड़ा महिला एवं एम ए सेकेंड एयर में होने के कारण चयन करने का अनुरोध से संबधित है। उक्त के संदर्भ में कहना है कि विभागीय प्रावधाना अनुसार स्थानीय निवासी, कम्प्यूटर ज्ञान, अधिकतम शैक्षिणक योग्यता व अन्य विन्दुओ के आधार पर जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा अधिक योग्य अभ्यर्थी चयन करने का प्रावधान है। अभ्यर्थी रिया रानी का एम० ए० पूर्ण नही है।
21	रूबी कुमारी पति–अमीत कुमार ग्राम+पोस्ट+पचायत–मझोस थाना–मखदुमपुर जिला–जहानाबाद	मझोस वार्ड–15	मखदुमपुर	13/06/2026	जमीन का रसीद की छाया प्रति।	1. परिवादी के द्वारा आवेदक श्रीमति– रूबी कुमारी, पति– अमित कुमार ग्राम– मझोस थाना– मखदुमपुर के विरूद्ध समर्पित दावा आपति में व्यापार स्थल सलग्न करने का अनुरोध से संबधित है। उक्त के संदर्भ में कहना है कि स्थलीय जाँच के दौराण आवेदिका मकान निर्मित पाया गया उल्लेखनीय है कि बिहार लक्ष्यित सार्वजजिक वितरण प्रणाली (नियत्रण) आदेश–2016 कण्डीका–17(1) के अनुसार व्यापार स्थल परिवर्तनीय है, यदि अनुज्ञप्ति में वर्णीत आवश्यक वस्तु का भण्डारण स्थल या व्यापार स्थल में परिवर्तन चाहता है तो वह इसके लिए अनुज्ञापन पदाधिकारी को कारण बताते हुए एवं परिवर्तन हेतु प्रस्तावित स्थल की पहचान संबधित विवरण अंकित करते हुए एक लिखित आवेदन पत्र समर्पित करने का प्रावधान है।
22	रविरजन कुमार पिता–रामकिशोर शर्मा ग्राम+पोस्ट–नेवारी थाना–मखदुमपुर जिला–जहानाबाद	पुनहदा पचायत	मखदुमपुर प्रखड	13/06/2026	1. आवेदन 2. मुखिया की प्रमाण–पत्र पुनहदा पंचायत 3. शपथ–पत्र कार्यपालक दण्डाधिकारी अनुमडल, जहानाबाद	1. परिवादी/अभ्यर्थी रविरजन कुमार, पिता–रामकिशोर शर्मा ग्राम– नेवारी पोस्ट– नेवारी, थाना–मखदुमपुर जिला– जहानाबाद के द्वारा समर्पित दावा आपति अभ्यर्थी सिम्पी कुमारी का पचायत पुनहदा का स्थायी निवासी नही होने से संबधित है। वर्णित है कि अभ्यर्थी सिम्पी कुमारी वर्तमान समय में अपने पति एव बच्चे के साथ ग्राम–सेधवा, पोस्ट– नेहालपुर, थाना–परस विगहा, प्रखड– रतनी फरीदपुर स्थित अपने पति– आभाष कुमार आजाद के पैतृक गॉव अर्थात ससुराल में स्थायी रूप से रहती है, इसके अलावे परिवादी/अभ्यर्थी रविरजन कुमार ने स्वय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र उपलब्ध करते हुये मेघा सूची क्र०स० 01 करने का अनुरोध किया गया है। उक्त के संदर्भ में कहना है कि बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रण) आदेश 2016 के कण्डिका–08(05) के अनुसार नये जन वितरण प्रणाली की नई अनुज्ञप्ति हेतु समर्पित आवेदनों में संबधित पचायत आर्थात वार्ड के निवासी को प्राथमिकता दिये जाने के प्रावधान है। स्थलिय जाँच के क्रम पाया गया कि आवेदक सिम्पी कुमारी शादी–शूदा है जिनका ससूराल ग्राम–सेधवा, पो०– नेहालपुर, थाना– परस विगहा, प्रखण्ड– रतनीफरीदपुर, जिला– जहानाबाद है, जो रिक्ती पचायत पूनहदा से संबधित नही है। आवेदक सिम्पी कुमारी द्वारा मूल्य आवेदन में उपलब्ध कराये गये स्थाई निवास प्रमाण–पत्र में अपने पति का नही बल्की पिता का नाम अकित है, जो मायके से संबधित है। नियमानुसार शादी के बाद लड़की का स्थाई निवास प्रमाण–पत्र पति के नाम से होना चाहिए। विना किसी ठोस कारण (यथा–परित्यक्ता, तलाक व अन्य) शादी–शुदा लडकी का पति नही बल्की पिता के नाम से स्थाई आवासीय प्रमाण–पत्र निर्गत होना युक्ति सगत नही है। इसके अलावे समर्पित दावा अपति में ग्राम पचायत पुनहदा के मुखिया ने अपने पत्राक–118 दिनाक– 11.06.2026 द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत किया है, जिसमें वर्णित है कि कि सिम्पी कुमारी पिता– धनजय शर्मा, ग्राम– नौगढ, पोस्ट– नेवारी, थाना–मखदुमपुर, जिला जहानाबाद का विवाह लगभग छ (06) वर्ष पूर्व ग्राम– सेधवॉ थाना परस विगहा, प्रखण्ड– रतनीफरीदपुर, जिला– जहानाबाद के निवासी आभाष कुमार आजाद के साथ सम्पन्न हुई है, तथा सिम्पी कुमारी वर्तमान समय मे अपने ससुराल ग्राम– सेधवॉ या जहानाबाद शहरी क्षेत्र मे रहती है। अभ्यर्थी सिम्पी कुमारी के स्थाई निवासी होने के सबध मे अनुमण्डल कार्यालय के पत्राक– 956/आ० दिनाक– 25.07.2026 द्वारा अचलाधिकारी मखदुमपुर से प्रतिवेदन की माग की गयी। अचलाधिकारी मखदुमपुर ने अपने पत्राक– 1346 दिनाक– 27.07.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अभ्यर्थी सिम्पी कुमारी के द्वारा अपने आवेदन मे दस्तावेज के रूप आधार कार्ड सलग्न किया गया है, जिसका आधार सख्या– 213755026113 है, जिस पर पता में सिम्पी कुमारी, पिता– धनजय शर्मा, ग्राम– नौगढ, पोस्ट– नेवारी अंकित है। आवेदिका के द्वारा अपने शादी का साक्ष्य छुपाकर गलत तरीके से अविवाहिता के समय का आधार कार्ड सलग्न कर निवास प्रमाण–पत्र निर्गत करा लिया गया है। अत: उपरोक्त के आलोक मे अभ्यर्थी सिम्पी कुमारी पचायत– पुनहदा प्रखण्ड– मखदुमपुर के स्थाई निवासी नही है। साथ ही दावा अपति में अभ्यर्थी रविरजन कुमार के द्वारा आर्थीक रूप से कमजोर वर्ग के है प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराते हुए उक्त श्रेणी का लाभ देने के सबध मे कहना है कि पचायत– पुनहदा मे उक्त श्रेणी का कोई रिक्ती नही है इनके आवेदन को गैरआरक्षित मानते हुए विचार किया जा सकता है।

23	सीता कुमारी पति–नरेश कुमार वार्ड नं0–01 ग्राम–ढकनी बिगहा पोस्ट+थाना–मखदुमपुर जिला–जहानाबाद मो0 नं0–797088220	वार्ड–01	नगर निकाय प्रखड मखदुमपुर	13 / 06 / 2026	वोटर आई0डी9 का तीन प्रति में छाया प्रति	1 परिवादी / अभ्यर्थी सीता कुमारी, पति–नरेश कुमार नगर पंचायत वार्ड सख्या–01 थाना–मखदुमपुर जिला– जहानाबाद के द्वारा समर्पित दावा आपति अभ्यर्थी जुली कुमारी का नगर पंचायत वार्ड सख्या 01 का स्थायी निवासी नही होने से सबधित है। वर्णित है कि अभ्यर्थी जुली कुमारी वर्तमान समय मे अपने पति एव बच्चे के साथ ग्राम–रजायन (टेहटा), पोस्ट– टेहटा, थाना–टेहटा, प्रखड– मखदुमपुर स्थित अपने पति– राकेश कुमार के पैतृक गाँव अर्थात ससुराल मे स्थायी रूप से रहती है, साथ ही अभ्यर्थी सीता कुमारी औपबधिक मेघा सूची क्र०सं० 01 करने का अनुरोध किया गया है। उक्त के संदर्भ मे कहना है कि बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रण) आदेश 2016 के कण्डिका–08(05) के अनुसार नये जन वितरण प्रणाली की नई अनुज्ञप्ति हेतु समर्पित आवेदनों मे सबधित पचायत अर्थात वार्ड के निवासी को प्राथमिकता दिये जाने के प्रावधान है। स्थलिय जाँच के क्रम पाया गया कि आवेदक जुली कुमारी शादी–शुदा है जिनका ससुराल ग्राम–रजायन, पो०– टेहटा थाना– टेहटा प्रखण्ड– मखदुमपुर जिला– जहानाबाद है, जो रिक्ती नगर पचायत वार्ड सख्या 01 से सबधित नही है। आवेदक जुली कुमारी द्वारा मूल आवेदन मे उपलब्ध कराये गये स्थाई निवास प्रमाण–पत्र मे अपने पति का नही बल्की पिता का नाम अकित है जो मायके से सबधित है। नियमानुसार शादी के बाद लड़की का स्थाई निवास प्रमाण–पत्र पति के नाम से होना चाहिए। बिना किसी ठोस कारण (यथा–परित्यक्ता, तलाक अन्य) शादी–शुदा लड़की का पति नही बल्की पिता के नाम से स्थाई आवासीय प्रमाण–पत्र निर्गत होना तर्कसगत नही है। इसके अलावे समर्पित दावा अपति मे नगर पचायत वार्ड 01 (वार्ड आयुक्त) सोनी कुमारी ने अपने पत्राक–05 दिनाक– 13.07.2026 द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत कि नगर पचायत वार्ड 01 का बेटी है, जिसमे वर्णित है कि जुली कुमारी पिता– नरेश बिन्द, ग्राम–ढकनी बिगहा, थाना–मखदुमपुर, जिला जहानाबाद का विवाह लगभग छ (06) वर्ष पूर्व ग्राम– रजायन, थाना टेहटा, प्रखण्ड– मखदुमपुर, जिला– जहानाबाद के निवासी राकेश कुमार के साथ सम्पन्न हुई है, तथा जुली कुमारी वर्तमान समय मे अपने ससुराल ग्राम– रजायन टेहटा मे रहती है, साथ ही मुख्य पार्षद नगर पचायत मखदुमपुर द्वारा भी प्रमाणित किया गया है, कि जुली कुमारी पिता– नरेश बिन्द, ग्राम–ढकनी बिगहा, थाना–मखदुमपुर, जिला जहानाबाद का विवाह लगभग छ (06) वर्ष पूर्व ग्राम– रजायन, थाना टेहटा, प्रखण्ड– मखदुमपुर जिला– जहानाबाद के निवासी राकेश कुमार के साथ सम्पन्न हुई है, तथा जुली कुमारी वर्तमान समय मे अपने ससुराल ग्राम– रजायन टेहटा मे रहती है, अत: उक्त के आलोक मे अभ्यर्थी / आवेदक जुली कुमारी को नगर पचायत वार्ड सख्या 01 का स्थाई निवासी माना जाना उचीत प्रतित नही होता है। अभ्यर्थी जुली कुमारी का स्थायी निवासी के सबध मे अनुमण्डल कार्यालय के पत्राक– 956 / आ० दिनाक– 25.07.2026 द्वारा अचलाधिकारी, मखदुमपुर से प्रतिवेदन की माग की गयी। अचलाधिकारी मखदुमपुर ने अपने पत्राक– 1385 दिनाक– 30.07.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि अभ्यर्थी जुली कुमारी विवाहीत महिला है और ग्राम– ढकनी विगहा वार्ड सख्या– 01 मे निवास नही करती है। जुली कुमारी अपने पति– राकेश कुमार के साथ ग्राम– रजाईन टेहटा, पो० टेहटा थाना– टेहटा, जिला– जहानाबाद मे स्थाई रूप से रहती है। अत: उपरोक्त के आलोक मे अभ्यर्थी जुली कुमारी नगर पचायत वार्ड सख्या– 01 मखदुमपुर के स्थाई निवासी नही है।
24	राजू कुमार पिता–रामाधार शर्मा ग्राम+पंचायत–रामपुर थाना–मखदुमपुर जिला–जहानाबाद मो0 नं0–9155406265	वार्ड–10 पंचायत रामपुर	प्रखंड मखदुमपुर	17 / 06 / 2026	1. विद्यालय परित्याग प्रमाण–पत्र की छाया प्रति। 2. पजीकरण B.Sc (IT) की छाया प्रति 3. College Leaving Certificate की छाया प्रति। 4. Admit card B.Sc (IT) Part-III की छाया प्रति 5. Marks Sheet B.Sc (IT) Part-I की छाया प्रति	1. आवेदक के द्वारा समर्पित दावा आपति में विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र, विश्वविद्यालय बोध–गया पंजीकरण प्रमाण–पत्र, आई०टी० प्रवेश पत्र एव स्नातक समेस्टर–1 प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुए आवेदन में संलग्न करने का अनुरोध से संबधित है। उक्त के सदर्भ में कहना है कि आवेदक के द्वारा उपलब्ध कराया गया विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र, विश्वविद्यालय बोध–गया पंजीकरण प्रमाण–पत्र, आई०टी० प्रवेश पत्र एव स्नातक समेस्टर–1 प्रमाण पत्र का निर्गत का तिथि विज्ञापन सं० 01 / 2026 के पूर्व का है। जिसके आलोक में विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र, विश्वविद्यालय बोध–गया पंजीकरण प्रमाण–पत्र, आई०टी० प्रवेश पत्र एव स्नातक समेस्टर–1 प्रमाण पत्र में संलग्न किया गया है जबकी विभागीय नियमानुसार किसी भी कोर्स का Final Marks Sheet अंक के योग्यता के आधार पर औपबधिक मेघा सूची बनाया गया है, जो की परिवादी के द्वारा संलग्न नही है, इससे प्रतित होता है कि परिवादी के द्वारा कोर्स को पुरा नही किया गया है। जो कि औपबधिक मेघा सूची में योग नही रखते है।

25	माधुरी कुमारी ग्राम+पोस्ट–नेर थाना–मखदुमपुर जिला–जहानाबाद, बिहार पिन कोड–804422 मो0 न0–9852802085	पचायत–छरियारी मखदुमपुर	मखदुमपुर प्रखड	17/06/2026	मैट्रिक अंक प्रमाण–पत्र एवं आवासीय की छाया प्रति।	1. आवेदक के द्वारा समर्पित दावा आपति में मैट्रिक अंक प्रमाण–पत्र एवं आवासीय प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराते हुए आवेदन में संलग्न करने का अनुरोध से संबधित है। उक्त के संदर्भ में कहना है कि आवेदक के द्वारा उपलब्ध कराया गया मैट्रिक अंक प्रमाण–पत्र एवं आवासीय प्रमाण–पत्र का निर्गत का तिथि विज्ञापन सं० 01/2026 के पूर्व का है। जिसके आलोक में मैट्रिक अंक प्रमाण–पत्र एवं आवासीय प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया है जो कि आवासीय प्रमाण पत्र पंचायत मकरपुर प्रखण्ड– मखदुमपुर का है जबकी विभागीय निदेशानुसार प्रथम प्राथमिकता स्थानीय लोगो को दिया गया परन्तु स्थानीय आवेदक नही रहने के उपरात परिवादी के आवेदन पर विचार किया जा सकता है।
26	रणधीर शर्मा पिता–स्व0 मधुलाल सिंह ग्राम+पोस्ट–रामपुर पचायत–रामपुर प्रखड–मखदुमपुर जिला–जहानाबाद, 804403 मो0 न0–9934603680	पचायत रामपुर वार्ड–10	मखदुमपुर प्रखंड	17/06/2026	शैक्षणिक योग्यता का छाया प्रति। मैट्रिक से लेके एम0ए0 एवं बी0एड0 का अंक प्रमाण–पत्र की छाया प्रति। कम्प्यूटर का अंक प्रमाण–पत्र एवं प्रमाण–पत्र की छाया प्रति सलग्न। E.W.S. छाया प्रति सलग्न।	1. आवेदक के द्वारा समर्पित दावा आपति में मैट्रिक अंक प्रमाण–पत्र से एम०ए० प्रमाण–पत्र, बी०एड० प्रमाण–पत्र कम्प्यूटर का अंक प्रमाण–पत्र एवं ई०डब्लू०एस० प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराते हुए आवेदन में सलग्न करने का अनुरोध से सबधित है। उक्त के संदर्भ में कहना है कि आवेदक के द्वारा उपलब्ध कराया गया मैट्रिक अंक प्रमाण–पत्र से एम०ए० प्रमाण–पत्र, बी०एड० प्रमाण–पत्र कम्प्यूटर का अंक प्रमाण–पत्र एवं ई०डब्लू०एस० प्रमाण–पत्र का निर्गत का तिथि विज्ञापन सं० 01/2026 के पूर्व का है। जिसके आलोक में मैट्रिक अंक प्रमाण–पत्र से एम०ए० प्रमाण–पत्र, बी०एड० प्रमाण–पत्र कम्प्यूटर का अंक प्रमाण–पत्र एवं ई०डब्लू०एस० प्रमाण–पत्र में सलग्न किया जाता सकता है साथ ही यह निर्देश दिया जा सकता है कि उक्त दस्तावेज फर्जी पाया जाता है तो आवेदक पर विधि सम्वत कार्रवाई कर दी जायेगी।
27	प्रज्ञा कुमारी पति–विजय निशान्त ग्राम–कोईली पोस्ट–सागरपुर थाना–मखदुमपुर जिला–जहानाबाद	08 वार्ड	प्रखंड मखदुमपुर	17/06/2026	वोटर कार्ड की छाया प्रति एव रसीद जमीन संबंधी की छाया प्रति।	1. परिवादी के द्वारा आवेदक श्रीमति– रूबी कुमारी, पति– अमित कुमार ग्राम– मंझोस थाना– मखदुमपुर के विरूद्ध समर्पित दावा आपति रूबी कुमारी आवेदक के व्यापार स्थल उपर्युक्त नही से संबंधित है। उक्त के संदर्भ में कहना है कि स्थलीय जॉच के दौराण आवेदका का मकान निर्मित पाया गया उल्लेखनीय है, बिहार लक्ष्यित सार्वजजिक वितरण प्रणाली (नियत्रण) आदेश–2016 कण्डीका–17 के अनुसार व्यापार स्थल परिर्वतनीय है यदि अनुज्ञप्ति में वर्णीत आवश्यक वस्तु का भण्डारण स्थल या व्यापार स्थल में परिर्वतन चाहता है, तो वह इसके लिए अनुज्ञापन पदाधिकारी को कारण बताते हुए एवं परिर्वतन हेतु प्रस्तावित स्थल की पहचान संबधित विवरण अकित करते हुए एक लिखित आवेदन पत्र समर्पित करने का प्रावधान है।

28	किंगसन कुमार वर्मा पिता–धनंजय कुमार वर्मा ग्राम+पोस्ट–सुगाँव थाना–टेहटा जिला–जहानाबाद मो0 न0–8540851034	वार्ड न0–08 पंचायत सुगाँव	प्रखड मखदुमपुर	18 / 06 / 2026	औपबधिक मेधा सूची का छाया प्रति	1. आवेदक के द्वारा समर्पित दावा आपति अभ्यर्थी प्रमीला कुमारी पति– सहायक शिक्षक होने संतोश दास के दुसरी पत्नि होने, अभ्यर्थी रविश रजन के पास व्यापार स्थल नही होने तथा कम्प्यूटर प्रमाण–पत्र नही होने एव अभ्यर्थी विकास कुमार पिता– अनुज कुमार पचायत– सुगाँव के पास व्यापार स्थल नही होने से सबधित है। उक्त के संदर्भ में कहना है कि विभागीय प्रावधाना अनुसार अभ्यर्थी स्वय लाभ के पद पर निधारित नही होना चाहिए। अभ्यर्थी का पति का सरकारी नौकारी मे होने से अभ्यर्थी के आवेदन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ता है. इसके अलावे व्यापार स्थल के संबध में कहना है कि जाँच के क्रम में अभ्यर्थी रविश कुमार एवं विकास कुमार के व्यापार स्थल उपर्युक्त पाया गया। साथ ही कहना है कि बिहार लक्षित सार्वजजिक वितरण प्रणाली (नियत्रण) आदेश–2016 कण्डीका–17(1) के अनुसार व्यापार स्थल परिर्वतनीय है, यदि अनुज्ञप्ति में वर्णीत आवश्यक वस्तु का भण्डारण स्थल या व्यापार स्थल में परिर्वतन चाहता है, तो वह इसके लिए अनुज्ञापन पदाधिकारी को कारण बताते हुए एवं परिर्वतन हेतु प्रस्तावित स्थल की पहचान संबधित विवरण अंकित करते हुए एक लिखित आवेदन पत्र समर्पित करने का प्रावधान है। अभ्यर्थी के कम्प्यूटर प्रमाण–पत्र के संदर्भ में कहना है कि विभागीय प्रावधान के अनुसार अभ्यर्थी का सिर्फ कम्प्यूटर ज्ञान होने से संबधित है ना कि योग्यता से।
29	अजीत कुमार पिता–सुशील कुमार ग्राम–सुकना बिगहा पोस्ट–नेवारी थाना–मखदुमपुर पचायत–पुनहदा, वार्ड स0–04	वार्ड–04	प्रखड–मखदुमपुर	18 / 06 / 2026	सूची–1 बी0 पी0 एड0 अंक प्रमाण–पत्र का छाया प्रति 2 STET का प्रमाण–पत्र का छाया प्रति।	1 आवेदक के द्वारा समर्पित दावा आपति में बी०पी०एड० अंक प्रमाण–पत्र एवं एस–टेट प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराते हुए प्राप्त दावा आवेदन में संलग्न करने का अनुरोध से संबंधित है। आपत्ति पर मूल आवेदन का अवलोकन किया गया। मूल आवेदन के शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में बी०पी०एड० अंकित है। आवेदक के द्वारा उपलब्ध कराया गया बी०पी०एड० अंक प्रमाण–पत्र एवं एस–टेट प्रमाण–पत्र का निर्गत का तिथि विज्ञापन स० 01 / 2026 के पूर्व का है। जिसके आलोक में बी०पी०एड० अंक प्रमाण–पत्र एवं एस–टेट प्रमाण–पत्र में संलग्न किया जा सकता है साथ ही यह निर्देश दिया जा सकता है कि उक्त दस्तावेज फर्जी पाया जाता है तो आवेदक पर विधि सम्मत उच्चीत कार्रवाई किया जा सकता है।
30	मनिषा कुमारी पति–सुरज चौधरी ग्राम–पलैया पोस्ट+थाना–मखदुमपुर 9709523585	वार्ड–04	6	18 / 06 / 2026	कम्प्यूटर का प्रमाण–पत्र एव प्रमाण–पत्र का छाया प्रति निवास प्रमाण–पत्र का छाया प्रति	1. आवेदक के द्वारा समर्पित दावा आपति में कम्प्यूटर प्रमाण–पत्र एव आवासीय प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराते हुए उक्त स्वय चयन करने से संबंधित है। के संदर्भ में कहना है कि मूल आवेदन में अभ्यर्थी के द्वारा आवासीय पता मखदुमपुर डीह अंकित है जो वार्ड 04 से संबधित नही है। अभ्यर्थी मनिषा कुमारी के दावा अपति में अचलाधिकारी के द्वारा निर्गत स्थाई निवास प्रमाण–पत्र सख्या– BRCCO/2025/22476964 से वार्ड सख्या 04 से संबधित है। अभ्यर्थी के द्वारा संलग्न किये गये आवासीय प्रमाण–पत्र पूनः अचलाधिकरी कार्यालय में जाँच किया गया। अंचलाधिकारी मखदुमपुर ने अपने पत्रांक–1384 दिनांक– 30.07.2026 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अभ्यर्थी मनिषा कुमारी अपने पति– श्री सुरज चौधरी के साथ ग्राम– मखदुमपुर डीह वार्ड सख्या– 12 में स्थाई रूप से रहती है। अतः उपरोक्त के आलोक में अभ्यथी मनीषा कुमारी नगर पचायत वार्ड संख्या– 04 मखदुमपुर के स्थाई निवासी नही है। उल्लेखनीय है कि विभागीय प्रबधानानुसार सार्वजजिक वितरण प्रणाली (नियत्रण) आदेश–2016 कण्डीका–9(5) के अनुसार स्थानिय निवासी, कम्प्यूटर ज्ञान, अधिकतम शैक्षिण योग्यता एव अन्य बिन्दू के आधार पर जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा अधिक योग्य अभ्यर्थी को चयन करने का प्रावधान है।

31	श्यामली कुमारी पति–रौशन कुमार ग्राम+पोस्ट–सेरथुआ पचायत–कोहरा प्रखड–मखदुमपुर, जिला–जहानाबाद मो0 न0–7903325719	कोहरा पचायत	मखदुमपुर प्रखड	18/06/2026		1. परिवादी का दावा अपति पत्र अभ्यर्थी श्रीमति– ज्योति कुमारी, एव शोभा कुमारी के बैक खाता में एक लाख रूपया अनिवार्य एवं व्यापार स्थल उपर्युक्त नही रहने से सबधित है। उक्त के सदर्भ में कहना है कि विभागीय प्रावधाना अनुसार अभ्यर्थी के खाते में एक लाख रूपया होने का कोई बाधता नही है। साथ ही स्थलीय जॉच के दौरण आवेदक का मकान निर्मित पाया गया उल्लेखनीय कि है बिहार लक्ष्यित सार्वजजिक वितरण प्रणाली (नियत्रण) आदेश–2016 कण्डीका–17 (1) के अनुसार व्यापार स्थल परिर्वतनीय है यदि अनुज्ञप्ति में वर्णीत आवश्यक वस्तु का भण्डारण स्थल या व्यापार स्थल में परिर्वतन चाहता है तो वह इसके लिए अनुज्ञापन पदाधिकारी को कारण बताते हुए एव परिर्वतन हेतु प्रस्तावित स्थल की पहचान सबधित विवरण अंकित करते हुए एक लिखित आवेदन पत्र समर्पित करने का प्रावधान है।
32	सजीत कुमार पिता–स्व0 बालेश्वर सिह ग्राम+पोस्ट–छरियारी थाना–मखदुमपुर जिला–जहानाबाद मो0 न0–9939292372	वार्ड–3 पचायत छरियारी	मखदुमपुर प्रखड	18/06/2026	1 फुटबॉल खिलाड़ी का छाया प्रति 2 टाईप प्रमाण–पत्र का छाया प्रति	1. आवेदक के द्वारा समर्पित दावा आपति में फुटबॉल खिलाड़ी एव टाईप प्रमाण–पत्र, उपलब्ध कराते हुए आवेदन में सलग्न करने का अनुरोध से सबधित है। उक्त के सदर्भ में कहना है कि आवेदक के द्वारा उपलब्ध कराया गया फुटबॉल खिलाडी प्रमाण–पत्र एव टाईप प्रमाण–पत्र, के आधार कोई प्राथमिकता देने के कोई प्रबधान नही है। साथ ही बिहार लक्ष्यित सार्वजजिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश–2016 कण्डीका–9(5) के अनुसार स्थानिय निवासी, कम्प्यूटर ज्ञान, अधिकतम शैक्षणिक योग्यता एव अन्य बिन्दू के आधार जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा अधिक योग्य अभ्यर्थी चयन करने से सबधित है।
33	नित्या नद सिह पिता–स्व0 विधि चन्द्र प्रसाद ग्राम–मीरा बिगहा (हॉल्ट) पचायत–सुगाव प्रखड–मखदुमपुर जिला–जहानाबाद मो0 न0–9931413635	वार्ड स0–1	मखदुमपुर प्रखड	18/06/2026	1. ग्राम पचायत– सुगॉव अन्तर्गत चयनित अभ्यिर्थी की शैक्षणिक योग्ता आयु, जाति, आवसीय, एव अन्य योग्ताओं की सत्यापन कराने के सबध में।	1. परिवादी का दावा अपति पत्र में पचायत सुगॉव के सभी अभ्यर्थियों का प्रमाण–पत्र पून: सत्यापन करवाने से संबधित है। उक्त के सदर्भ में कहना है कि चयनित अभ्यर्थियों का शैक्षणिक योग्ता एव अन्य कागजातों का पुन: सत्यापन नियमानुसार संबधित संस्थानों से कराया जायेगा।
34	शालिनी कुमारी पति–विवेक कुमार ग्राम–खलकोचक पो0+थाना–मखदुमपुर जिला–जहानाबाद मो0 न0–6207781470	वार्ड न0–13	नगर पचायत–मखदुमपुर	18206/2026	मैट्रिक अंक प्रमाण–पत्र एवं प्रमाण–पत्र का छाया प्रति संलग्न।	1. आवेदक के द्वारा समर्पित दावा आपति में मैट्रिक अक प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराते हुए आवेदन में सलग्न करने का अनुरोध से सबधित है। उक्त के सदर्भ में कहना है कि आवेदक के द्वारा उपलब्ध कराया गया मैट्रिक अंक प्रमाण–पत्र का निर्गत का तिथि विज्ञापन सं० 01/2026 के पूर्व का है। जिसके आलोक में मैट्रिक अंक आवेदन पत्र में सलग्न किया जाता सकता है साथ ही यह निर्देश दिया जा सकता है कि उक्त दस्तावेज फर्जी पाया जाता है तो आवेदक पर विधि सम्मत कार्रवाई कर दी जायेगी ।

35	विजय कुमार पिता–स्व0 राज कुमार प्रसाद ग्राम–धनकौल वार्ड सं0–09 नगर पचायत मखदुमपुर पो0+थाना–मखदुमपुर जिला–जहानाबाद मो0 न0–7004617929	09. नगर पचायत मखदुमपुर	नगर निकाय मखदुमपुर प्रखंड	16/06/2026	1. आधार कार्ड का छाया प्रति 2. आवासीय प्रमाण–पत्र का छाया प्रति 3. जाति प्रमाण–पत्र की छाया प्रति 4.रजिस्ट्री केवाला स0 2727 विजय कुमार के नाम पर छाया प्रति 5.साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कपनी लिमिटेड का छाया प्रति 6.दुकान का आटा–चक्की का फोटो छाया प्रति	1. आवेदक के द्वारा समर्पित दावा आपति में आधार कार्ड प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण पत्र , आवासीय प्रमाण पत्र एवं स्थल प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुए आवेदन में संलग्न करने का अनुरोध से संबधित है। उक्त के संदर्भ में कहना है कि आवेदक के द्वारा उपलब्ध कराया गया आधार कार्ड, प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण पत्र , आवासीय प्रमाण पत्र एवं स्थल प्रमाण पत्र का निर्गत का तिथि विज्ञापन सं० 01/2026 के पूर्व का है। जिसके आलोक में आधार काड प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण पत्र , आवासीय प्रमाण पत्र एवं स्थल प्रमाण पत्र में संलग्न किया जाता सकता है साथ ही यह निर्देश दिया जा सकता है, कि उक्त दस्तावेज फर्जी पाया जाता है तो आवेदक पर विधि सम्वत उचित कार्रवाई किया जा सकता है। साथ ही दिया गया आपति को जाँचोपरान्त पाया गया कि औपबंधिक मेधा सूची में क्र०स 01 सौरभ कुमार के पिता– ब्रजदेव कुमार सरकारी नौकारी में जो कि विभागीय नियमानुसार आवेदक को स्वय सरकारी नौकरी में कार्यरत नही होना चाहिए जो की आवेदक के परिवार में सरकारी सेवा होने से कोई प्रभाव नही पड़ता है अभ्यर्थी के आवेदन पर क्र०स 02 संतोष कुमार पिता– दुधेश्वर चौधरी के द्वारा आटा–चक्की की दुकान है, जो की विभागीय नियमानुसार आटा– चक्की की दुकान नही होना चाहिए। जिसमें संतोष कुमार को आयोग किया जाता है। आवेदक को आपति को जाँच करने के उपरात एक से लेकर छः तक लगाया गया आरोप असत्य है। साथ ही आवेदक के द्वारा विज्ञापन सख्या–01/2026 से पूर्व का आवासीय प्रमाण पत्र सलग्न किया गया है जिसका प्रमाण–पत्र सख्या–BRCCO/2021/3740908 है। जिसमें वार्ड सख्या– 07 सरैया का स्थाई निवासी है। वर्तमान दिया गया आवासीय प्रमाण–पत्र 04/06/2026 निर्गत तिथि है जो निर्गत विज्ञापन सख्या 01/2026 के बाद का है जो मान्य नही है। इसके अलावे स्थलीय जाँच के क्रम में भी अभ्यर्थी का आवासन वाई 07 में पाया गया अतः अभ्यर्थी विजय कुमार का वार्ड 09 स्थाई निवासी नही माना जा सकता है।
36	किरण देवी पति–सोनु कुमार गाँव+पोस्ट–सुगाँव थाना–मखदुमपुर जिला–जहानाबाद मो0 न0–9507460339	8 पंचायत सुगाँव	मखदुमपुर प्रखंड	16/06/2026	1. रजिस्ट्री केवाला का छाया प्रति	1. परिवादी के द्वारा आवेदक श्रीमति– किरण देवी, पति– सोनु कुमार ग्राम– सुगाँव थाना– मखदुमपुर के विरूद्ध समर्पित दावा आपति किरण देवी आवेदक के व्यापार स्थल उपर्युक्त से संबधित है। उक्त के संदर्भ में कहना है कि स्थलीय जाँच के दौरण आवेदक का मकान निर्मित पाया गया उल्लेखनीये है बिहार लक्ष्यित सार्वजजिक वितरण प्रणाली (नियत्रण) आदेश–2016 कण्डीका–17(1) के अनुसार व्यापार स्थल परिर्वतनीय है यदि अनुज्ञप्ति में वर्णीत आवश्यक वस्तु का भण्डारण स्थल या व्यापार स्थल में परिर्वतन चाहता है तो वह इसके लिए अनुज्ञापन पदाधिकारी को कारण बताते हुए एवं परिर्वतन हेतु प्रस्तावित स्थल की पहचान संबधित विवरण अंकित करते हुए एक लिखित आवेदन पत्र समर्पित करने का प्रावधान है।
37	राकेश कुमार पिता–श्री राजेन्द्र शर्मा ग्राम–पुनहदा, पो0–नेवारी थाना–मखदुमपुर, जिला–जहानाबाद मो0 न0–7643943316	वार्ड–07, पचायत पुनहदा	मखदुमपुर प्रखड	16/06/2026		01 परिवादी राकेश कुमार पिता– राजेन्द्र शर्मा ग्राम–पुनहदा पोस्ट– नेवारी थाना– मखदुमपुर जिला– जहानाबाद के द्वारा औपबंधिक मेधा सूची में अंकित क्रमाक 01 सिम्पी कुमारी पर आपति दर्ज करायी गयी की पचायत–पुनहदा की स्थायी निवासी नही है। इस सदर्भ अभ्यर्थी रविरजन कुमार के द्वारा भी अपति दर्ज किया गया है तथ्य संबधित प्रतिवेदन क्रमाक संख्या 22 में अंकित है। साथ ही बिहार लक्ष्यित सार्वजजिक वितरण प्रणाली (नियत्रण) आदेश–2016 कण्डीका–9(5) के अनुसार स्थानिय निवासी, कम्प्यूटर ज्ञान, अधिकतम शैक्षणिक योग्यता एव अन्य बिन्दू के आधार जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा अधिक योग्य अभ्यर्थी चयन करने का प्रावधान है।

38	सतोष कुमार पिता–दुधेश्वर चौधरी ग्राम–फतेहपुर पो0+थाना–मखदुमपुर जिला–जहानाबाद पिन कोड–804422 मो0 न0–787874221	वार्ड–09, नगर पचायत मखदुमपुर	मखदुमपुर प्रखड	16/06/2026		1.आवेदक के द्वारा समर्पित दावा आपति अभ्यर्थी सौरभ कुमार के पिता– बद्रदेव कुमार सरकारी नौकरी मनरेगा पद पर कार्यरत से सबधित है। उक्त के सदर्भ में कहना है कि विभागीय प्राक्धनानुसार अभ्यर्थी स्वय श्री सौरभ कुमार लाभ के पद कार्यारत नही होना चाहिए। अभ्यर्थी का परिवार का सरकारी पद रहने से प्रतिकूल नही पड़ता है। साथ ही बिहार लक्षित सार्वजजिक वितरण प्रणाली (नियत्रण) आदेश–2016 कण्डीका–9(5) के अनुसार स्थानिय निवासी, कम्प्यूटर ज्ञान, अधिकतम शैक्षणिक योग्यता एव अन्य बिन्दू के आधार जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा अधिक योग्य अभ्यर्थी चयन करने का प्राक्धान है।
39	रौशनी कुमारी ग्राम+पचायत+पो0–बीर्रा थाना–मखदुमपुर जिला–जहानाबाद मो0 न0–9304984353	वार्ड–3, पंचायत–बेला बीर्रा	मखदुमपुर प्रखंड	16/06/2026	मकान का रसीद सलग्न है का छाया प्रति	1. परिवादी के द्वारा आवेदक श्रीमति– रौशनी कुमारी ग्राम– बीर्रा थाना– मखदुमपुर के विरूद्ध समर्पित दावा आपति में व्यापार स्थल उपर्युक्त से संबधित है । उक्त के संदर्भ में कहना है कि स्थलीय जॉच के दौरण आवेदक का मकान निर्मित पाया गया उल्लेखनीये है बिहार लक्षित सार्वजजिक वितरण प्रणाली (नियत्रण) आदेश–2016 कण्डीका–17(1) के अनुसार व्यापार स्थल परिर्वतनीय है यदि अनुज्ञप्ति में वर्णीत आवश्यक वस्तु का भण्डारण स्थल या व्यापार स्थल में परिर्वतन चाहता है तो वह इसके लिए अनुज्ञापन पदाधिकारी को कारण बताते हुए एवं परिर्वतन हेतु प्रस्तावित स्थल की पहचान सबंधित विवरण अकित करते हुए एक लिखित आवेदन पत्र समर्पित करने का प्राक्धान है।
40	रणधीर कुमार पासवान पिता–स्व0 मुनारीक पासवान ग्राम–धनकौल, पो0+थाना–मखदुमपुर जिला–जहानाबाद राज्य–बिहार पिन कोड–804422 मो0 न0–6204439100	वार्ड–09	नगर पचायत मखदुमपुर प्रखड	16/06/2026	आवेदन बी0ए0 मार्क्सशीट का छाया प्रति	1. आवेदक के द्वारा समर्पित दावा आपति में बी०ए० अक प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराते हुए आवेदन में सलग्न करने का अनुरोध से संबधित है। उक्त के संदर्भ में कहना है कि आवेदक के द्वारा उपलब्ध कराया गया बी०ए० अंक प्रमाण–पत्र का निर्गत का तिथि विज्ञापन स० 01/2026 के पूर्व का है। जिसके आलोक में बी०ए० अक आवेदन पत्र मे सलग्न किया जाता सकता है साथ ही यह निर्देश दिया जा सकता है कि उक्त दस्तावेज फर्जी पाया जाता है तो आवेदक पर विधि सम्मत कार्रवाई कर दी जायेगी।
41	दीपक कुमार पिता–राज कुमार ग्राम–हड़ैल पचायत–बेला बीर्रा प्रखड–मखदुमपुर जिला–जहानाबाद मो0 न0–9473355302	बेला बीर्रा पंचायत	मखदुमपुर प्रखड	16/06/2026	व्यापार स्थल किरायनामा एवं जमीन का रसीद कि छाया प्रति स्नातकोत्तर का अंक प्रमाण–पत्र का छाया प्रति स्नातकोत्तर का प्रमाण–पत्र का छाया प्रति	1. परिवादी के द्वारा आवेदक श्री दीपक कुमार ग्राम– हड़ैल थाना– मखदुमपुर के विरूद्ध समर्पित दावा आपति दीपक कुमार आवेदक के व्यापार स्थल उपर्युक्त नही होने से संबंधित उक्त के सदर्भ में कहना है कि स्थलीय जॉच के दौरण आवेदकका मकान निर्मित पाया गया उल्लेखनीय है बिहार लक्षित सार्वजजिक वितरण प्रणाली (नियत्रण) आदेश–2016 कण्डीका–17(1) के अनुसार व्यापार स्थल परिर्वतनीय है यदि अनुज्ञप्ति में वर्णीत आवश्यक वस्तु का भण्डारण स्थल या व्यापार स्थल में परिर्वतन चाहता है तो वह इसके लिए अनुज्ञापन पदाधिकारी को कारण बताते हुए एवं परिर्वतन हेतु प्रस्तावित स्थल की पहचान सबंधित विवरण अंकित करते हुए एक लिखित आवेदन पत्र समर्पित करने का प्राक्धान है। 2. आवेदक के द्वारा समर्पित दावा आपति में स्नातकोत्तर अंक प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराते हुए आवेदन में संलग्न करने का अनुरोध से संबंधित है। उक्त के सदर्भ में कहना है कि मूल आवेदन के शैक्षणिक योग्यता के कॉलम मे बी.एस.सी. अंकित है। अभ्यर्थी के द्वारा उपलब्ध कराया गया स्नातकोत्तर अंक प्रमाण–पत्र मूल आवेदन में अंकित शैक्षणिक योग्यता से भिन्न है जिसे सलग्न नहीं किया जा सकता है।

N+L

42	प्रेम किशोर पासवान पिता–राम निवास प्रसाद ग्राम+पोस्ट–सुगाँव थाना–टेहटा जिला–जहानाबाद मो0 न0–7488539914	वार्ड–08, पचायत सुगाँव	मखदुमपुर प्रखड	16 / 06 / 2026	आवेदन के साथ औपबधिक मेधा सूची की छाया प्रति	01. समर्पित दावा अपति पत्र अभ्यर्थी के परिवारी में सरकारी सेवा होने, व्यापार स्थल एवं कम्प्यूटर प्रमाण पत्र से सबधित है। उक्त के संदर्भ मे कहना है कि विभागीय प्रावधाना अनुसार अभ्यर्थी स्वय लाभ के पद पर निर्धारित नही होना चाहिए उसके अलावे अभ्यर्थी के परिवार में सरकारी सेवा होने से अभ्यर्थी के आवेदन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ता है। साथ ही व्यापार स्थल के सबध में कहना है कि बिहार लक्ष्यित सार्वजजिक वितरण प्रणाली (नियत्रण) आदेश–2016 कण्डीका–17(1) के अनुसार व्यापार स्थल परिर्वतनीय है यदि अनुज्ञप्ति में वर्णीत आवश्यक वस्तु का भण्डारण स्थल या व्यापार स्थल में परिर्वतन चाहता है तो वह इसके लिए अनुज्ञापन पदाधिकारी को कारण बताते हुए एव परिर्वतन हेतु प्रस्तावित स्थल की पहचान संबधित विवरण अकित करते हुए एक लिखित आवेदन पत्र समर्पित करने का प्रावधान है। जबकी बिहार लक्ष्यित सार्वजजिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश–2016 कण्डीका–9(5) के अनुसार स्थानिय निवासी, कम्प्यूटर ज्ञान, अधिकतम शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य बिन्दू के आधार जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा अधिक योग्य अभ्यर्थी चयन करने का प्रावधान है।
43	पिन्दु कुमार पिता–सिताराम यादव ग्राम+पोस्ट–सुगाँव थाना–टेहटा जिला–जहानाबाद पिन कोड–804427 मो0 न0–9801930097	वार्ड–03, सुगाँव	मखदुमपुर प्रखड	16 / 06 / 2026	आवेदन के साथ औपबधिक मेधा सूची संलग्न की छाया प्रति	01. समर्पित दावा अपति पत्र अभ्यर्थी सरकारी सेवा होने एवं व्यापार स्थल उपर्युक्त नही होने से सबधित है। उक्त के संदर्भ मे कहना है कि विभागीय प्रावधाना अनुसार अभ्यर्थी स्वय: लाभ के पद पर निर्धारित नही होना चाहिए उसके अलावे अभ्यर्थी के परिवार में सरकारी सेवा होने से अभ्यर्थी के आवेदन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पडता है। साथ ही व्यापार स्थल के संबध में कहना है कि बिहार लक्ष्यित सार्वजजिक वितरण प्रणाली (नियत्रण) आदेश–2016 कण्डीका–17(1) के अनुसार व्यापार स्थल परिर्वतनीय है यदि अनुज्ञप्ति में वर्णीत आवश्यक वस्तु का भण्डारण स्थल या व्यापार स्थल में परिर्वतन चाहता है तो वह इसके लिए अनुज्ञापन पदाधिकारी को कारण बताते हुए एव परिर्वतन हेतु प्रस्तावित स्थल की पहचान सबधित विवरण अकित करते हुए एक लिखित आवेदन पत्र समर्पित करने का प्रावधान है। जब कि बिहार लक्ष्यित सार्वजजिक वितरण प्रणाली (नियत्रण) आदेश–2016 कण्डीका–9(5) के अनुसार स्थानिय निवासी, कम्प्यूटर ज्ञान, अधिकतम शैक्षणिक योग्यता एव अन्य बिन्दू के आधार जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा अधिक योग्य अभ्यर्थी चयन करने का प्रावधान है।
44	पंकज कुमार पिता–अवधेश चौधरी ग्राम–फतेहपुर पोस्ट+थाना–मखदुमपुर जिला–जहानाबाद राज्य–बिहार पिन कोड–804422	वार्ड–09	मखदुमपुर प्रखड	16 / 06 / 2026	आवेदन–विकलांग प्रमाण–पत्र का छाया प्रति	1. आवेदक के द्वारा समर्पित दावा आपति में दिव्यांग प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराते हुए चयन करने से अनुरोध से संबंधित है। उक्त के सदर्भ में कहना है कि अभ्यर्थी पकज कुमार के द्वारा दिया गया दिव्यांगता प्रमाण–पत्र (लोकोमोटर 50 प्रतिशत) संलग्न है। साथ ही बिहार लक्ष्यित सार्वजजिक वितरण प्रणाली (नियत्रण) आदेश–2016 कण्डीका–9(5) के अनुसार स्थानिय निवासी, कम्प्यूटर ज्ञान, अधिकतम शैक्षणिक योग्यता एव अन्य बिन्दू के आधार जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा अधिक योग्य अभ्यर्थी का चयन करने का प्रावधान है, साथ ही समान्य प्रसाशन विभाग के द्वारा आरक्षण से सबधित ससमय निर्गत संकल्प / आदेश चयन प्रक्रिया में देई है।
45	सगीता कुमारी पति–उदित नारायण यादव ग्राम+पोस्ट–बीर्रा पंचायत–बेला वीर्रा प्रखड+थाना–मखदुमपुर जिला–जहानाबाद मो0 न0–9199282940	बेला वीर्रा वार्ड न0–04	मखदुमपुर प्रखड	15 / 06 / 2026	एम0 ए0 के अंक प्रमाण–पत्र एवं मूल प्रमाण–पत्र की छाया प्रति	1. समर्पित दावा आपति में एम०ए० प्रमाण–पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र समर्पित करने से संबधित है। उक्त के संदर्भ में कहना है अभ्यर्थी के द्वारा उपलब्ध कराये गये एम ए का अंक पत्र (87.21%) एव प्रमाण पत्र की निर्गत तिथि विज्ञापन प्रकाशन के पूर्व का है, जिसे संलग्न किया जा सकता है। उपलब्ध कराये गये अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र को इनके मूल से मिलान किया गया जो प्रथम दृष्टया सही पाया गया। भविष्य में जाँच के क्रम में अभ्यर्थी के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाते हैं तो अभ्यर्थी के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई कर दी जायेगी।

46	संतोष कुमार पिता–स्व0 शकर पासवान ग्राम–हड़ईल, पोस्ट–अल्लाहगंज थाना–विशुनगंज, पंचायत–बेला वीर्रा मखदुमपुर जिला–जहानाबाद	वार्ड–13 बेला बिर्रा	प्रखंड मखदुमपुर	15/06/2026	1. 10 वीं का अंक प्रमाण छाया प्रति 2. 12 वीं अंक का छाया प्रति 3. स्नातक का अंक (B.C.A) छाया प्रति 4. एम0 ऐड का अंक छाया प्रति 5. जाति प्रमाण–पत्र का छाया प्रति 6. आवासीय प्रमाण–पत्र का छाया प्रति 7. आधार कार्ड का छाया प्रति	1. समर्पित दावा आपति पत्र में संतोष कुमार के द्वारा एम० बिलिस समेस्टर – 2 का अंक पत्र संलग्न करते हुये शैक्षणिक योग्यता में वरीय होने संबधित दावा किया गया है। उक्त के संदर्भ में कहना है कि अभ्यर्थी के मूल आवेदन का पुन: अवलोकन किया गया। मूल आवेदन के शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में पी.जी अंकित है साथ ही एम.एल.आई.एस का अंक पत्र (65.64%) संलग्न है। बी. ए. का अंक प्रतिशत को औपबधिक मेधा सूची में प्रविष्टि की गयी थी। संलग्न अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र का समीक्षोपरान्त एम.एल.आई.एस का अंक पत्र को संलग्न किया जा सकता है। उल्लेखनिए है कि बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली(नियत्रण) आदेश–2016 कण्डीका–9(5) के अनुसार स्थानिय निवासी, कम्प्यूटर ज्ञान, अधिकतम शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य बिन्दू के आधार जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा अधिक योग्य अभ्यर्थी का चयन करने का प्रावधान है।
47	राजन कुमार पिता–श्री राजेश प्रसाद घर–मखदुमपुर (डीह) पोस्ट+थाना–मखदुमपुर जिला–जहानाबाद मो0 न0–7050204474	वार्ड–12	नगर निकाय प्रखंड मखदुमपुर	15/06/2026		1. परिवादी के द्वारा अभ्यर्थी श्री रजीत कुमार पिता रामानन्द ठाकूर के विरूद्ध समर्पित दावा आपति व्यापार स्थल उपर्युक्त नही होने से संबधित है। उक्त के संदर्भ में कहना है कि स्थलीय जॉच के दौरण आवेदकका मकान निर्मित पाया गया उल्लेखनीय है बिहार लक्षित सार्वजजिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश–2016 कण्डीका–17(1) के अनुसार व्यापार स्थल परिर्वतनीय है यदि अनुज्ञप्ति में वर्णीत आवश्यक वस्तु का भण्डारण स्थल या व्यापार स्थल में परिर्वतन चाहता है तो वह इसके लिए अनुज्ञापन पदाधिकारी को कारण बताते हुए एव परिर्वतन हेतु प्रस्तावित स्थल की पहचान संबधित विवरण अंकित करते हुए एक लिखित आवेदन पत्र समर्पित करने का प्रावधान है।
48	बसत कुमार पता–स्व0 लालसा देवी ग्राम+पोस्ट–मंझोस थाना–मखदुमपुर जिला–जहानाबाद बिहार। सम्पर्क न0–9798672751	वार्ड–14 मंझोस	मखदुमपुर	15/06/2026	1. आवेदन 2. EWS 3. दिव्यांग UDID Card 4. पति UDID Card 5. नियुक्ति में आरक्षण देने संबंधी सामान्य प्रशासन विभाग अनुसार विकलांग को आरक्षण दिया जायेगा, कॉपी साथ में। 6. आधार कार्ड पति, पत्नि का दिव्यांग दोनों, 7. PGDCA. M.Sc	1. आवेदक के द्वारा समर्पित दावा आपति पत्र दिव्यागता प्रमाण–पत्र संलग्न करने से संबधित है। उक्त के सदर्भ में कहना है कि निर्गत दिव्यांगता UDID Card प्रमाण–पत्र (लोकोमोटर 60 प्रतिशत) है, जो विज्ञापन निर्गत तिथि का पूर्व का है, जिसे मूल आवेदन के अवलोकोनोपरान्त मूल आवेदन से संलग्न किया जा सकता है। साथ ही बिहार लक्षित सार्वजजिक वितरण प्रणाली (नियत्रण) आदेश–2016 कण्डीका–9(5) के अनुसार स्थानिय निवासी, कम्प्यूटर ज्ञान, अधिकतम शैक्षिण योग्ता एवं अन्य बिन्दू के आधार जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा अधिक योग्य अभ्यर्थी का चयन करने का प्रावधान है।
49	राधा कुमारी पति–मुन्ना माझी ग्राम–पलेया वार्ड स0–04 पो0+थाना–मखदुमपुर जिला–जहानाबाद मो0 न0–9263455760	वार्ड स0–04 नगर पचायत मखदुमपुर	नगर निकाय मखदुमपुर प्रखंड	15/06/2026	1. कम्प्यूटर का मार्क्सशीट (ए0डी0सी0ए0) प्रमाण–पत्र की छाया प्रति। 2. कम्प्यूटर का सर्टिफिकेट (ए0डी0सी0ए0) छाया प्रति। 3. रीना कुमारी के नाम पर पंजाब नेशनल बैंक का बैंक मित्र केन्द्र का फोटो कॉपी।	1. आवेदक के द्वारा समर्पित दावा आपत्ति में कम्प्यूटर अक प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराते हुए आवेदन में संलग्न करने का अनुरोध से संबधित है। उक्त के संदर्भ में कहना है कि आवेदक के द्वारा उपलब्ध कराया गया कम्प्यूटर अंक प्रमाण–पत्र का निर्गत का तिथि विज्ञापन स० 01/2026 के पूर्व का है। जिसके आलोक में कम्प्यूटर अक प्रमाण–पत्र में सलग्न किया जाता सकता है साथ ही यह निर्देश दिया जा सकता है तथा आवेदिका रीना कुमारी के नाम पर बैक मित्र केन्द्र है इसका कोई विभागीय प्रावधान नही है जब कि रीना कुमारी का किसी भी सरकारी नौकारी पद स्वयं कार्यरत नही होना चाहिए। उक्त दस्तावेज फर्जी पाया जाता है तो आवेदक पर विधि सम्मत कार्रवाई कर दी जायेगी।

50	संजय चन्द्रवंशी पिता–स्व राजेन्द्र प्रसाद, ग्राम पचायत–पूर्वी सरेन, थाना–टेहटा, प्रखड–मखदुमपुर	पचायत–पूर्वी सरेन	मखदुमपुर		वार्ड न0–1 में जन वितरण प्रणाली की दुकान से संबधित आवेदक क्र0–01 एव क्र0–2 दूसरे वार्ड के निवासी हैं। स्थलीय जाँच कर वार्ड नं0–01 के निवासी को चयनित किया जाय	आवेदक के द्वारा आपत्ति दर्ज की गयी है कि विज्ञापन में वार्ड सं0 01 में जन वितरण प्रणाली का दुकान का चयन किया जाना है, जब कि औपबधिक मेधा सूची के क्रमांक 01 एव 02 पर चयनित अभ्यर्थी क्रमशः वार्ड सख्या– 05 एव 03 के निवासी है। उपरोक्त के संदर्भ में कहना है कि उक्त विज्ञापन के तहत सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली का चयन पचायत स्तर पर किया जाना है। स्थलीय जाँच के दौरान चयनित अभ्यर्थी क्रमाक 01 पर अकित अभ्यर्थी रजन कुमार पूर्वी सरेण स्थाई निवासी एव 02 पर अकित अभ्यर्थी सचीन कुमार भी पूर्वी सरेण के स्थाई निवासी है। उल्लेखनीये है बिहार लक्ष्यित सार्वजजिक वितरण प्रणाली (नियत्रण) आदेश–2016 कण्डीका–17 के अनुसार व्यापार स्थल परिवर्तनीय है।
51	वृज किशोर शर्मा, ग्राम–चाँढ, थाना–मखदुमपुर, जिला–जहानाबाद		मखदुमपुर		बेरोजगार होने के कारण मेरे नाम से जन वितरण प्रणाली दुकान की बहाली करने के संबंध में।	आवेदक ने दिनांक 22.05.2026 को जिला पदाधिकारी महोदया, जहानाबाद को जिला जनता दरबार में नई जन वितरण प्रणाली की दुकान आवटन की जाने के संबध में आवेदन पत्र समर्पित किया है। आवेदक के द्वारा उक्त हेतु प्रकाशित विज्ञापन की प्रक्रिया के तहत विधिवत आवेदन पत्र समर्पित नही किया गया है अतः इनके आवेदन पत्र पर विभागीय प्रावधान अनुसार आवश्यक कार्रवाई नही की जा सकती है।
52	श्री सुबेदार दास, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा 218		मखदुमपुर		आवेदक रोशनी कुमार, पति–रंजन ठाकुर, ग्राम+पो0–बीर्रा, अचल–मखदुमपुर जन वितरण प्रणाली दुकान की बहाली में प्राथमिकता देने के संबध में।	श्री सुबेदार दास, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा 218 आवेदन के प्रतिवेदन से संबधित है। उक्त के सदर्भ में कहना है कि विभागीय नियमानुसार विज्ञापन की प्रक्रिया निम्नांकित बिन्दुओं, उच्च योग्ता एव स्थानिय वरीतया के आधार से किया जाता है।
53	शम्स अगाज पिता–स्व कमरूदीन असारी, ग्राम–हसनपुर, पो0–मंझोस, थाना–मखदुमपुर, जिला–जहानाबाद		मखदुमपुर		आवेदन में बी0ए0 का अंक प्रमाण अंक पत्र एवं प्रमाण–पत्र संलग्न करने के संबध में।	1. आवेदक के द्वारा समर्पित दावा आपति में बी०ए० अंक प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराते हुए आवेदन में संलग्न उक्त के संदर्भ करने का अनुरोध से संबधित है। में कहना है कि औपबधिक मेधा सूची में अभ्यर्थी का शैक्षणिक योग्यता बी०ए० प्रविष्ट है। इनके द्वारा दावा आपति में बी०ए० का अंक पत्र उपलब्ध कराया गया है। जो विज्ञापन प्रकाशन तिथि के पूर्व का है। जिनका बी०ए० अंक पत्र को स्वीकार किया जा सकता है।
54	राहुल कुमार पिता– कृष्णा कुमार ग्राम–ओड बिगहा पो0–नेवारी , थाना–मखदुमपुर, जिला–जहानाबाद		मखदुमपुर		औपबंधिक मेधा सूची का छाया प्रति	1. आवेदक के द्वारा समर्पित दावा आपति में औपबंधित मेधा सूची में अंकित अभ्यर्थी रजनीश कुमार के विरूद्ध आवसीय प्रमाण पत्र के संबध में आपत्ति दर्ज की गयी है। उक्त के संबध में अचल अधिकारी, मखदुमपुर से अभ्यर्थी रजनीश कुमार के स्थानीय निवासी के संबध में प्रतिवेदन की माँग की गयी। अंचल अधिकारी, मखदुमपुर के पत्राक 2068 दिनांक 03.11.2026 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया कि अभ्यर्थी रजनीश कुमार ग्राम–रसिदपुर के स्थायी निवासी है जो रिक्ति पचायत–पुनहदा से संबधित नहीं है।
55	प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मखदुमपुर		मखदुमपुर		व्यापार स्थल रिक्ति ग्राम में नही होने के संबध में।	प्रकाशित विज्ञापन में पचायत–पुनहदा के पिछड़ा वर्ग रिक्ति के लिए व्यापार स्थल हेतु ग्राम–पुनहदा चिन्हित किया गया था, परन्तु अभ्यर्थी राहुल कुमार पिता–कृष्णा कुमार ग्राम–ओड विगहा, पो0–नेवारी, थाना–मखदुमपुर, जिला–जहानाबाद के द्वारा ग्राम–ओड विगहा का व्यापार स्थल विवरणी उपलब्ध कराया गया है जो ग्राम–पुनहदा से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ग्राम–पुनहदा में व्यापार स्थल नहीं देने के कारण इनके आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता है।

56	प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मखदुमपुर		मखदुमपुर			रोस्टर क्रमांक–269–गैर आरक्षित हेतु श्रीमती प्रमीला कुमारी पति–श्री संतोष कुमार दास ग्राम+पो0–सुगॉव थाना–मखदुमपुर सर्वाधिक योग्यता रखती हैं परन्तु इनके द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में रिक्ति ग्राम से संबंधित व्यापार स्थल विवरणी उपलब्ध नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी श्रीमती प्रमीला कुमारी एवं शेष योग्य अभ्यर्थियों को रिक्ति ग्राम से संबंधित व्यापार स्थल विवरणी उपलब्ध कराने हेतु नोटिस निर्गत किया जा सकता है। चूँकि रोस्टर क्रमांक–269 गैर आरक्षित है ऐसी स्थिति में उक्त रोस्टर पर अंतिम निर्णय लेने के उपरान्त ही रोस्टर क्रमांक–268–अनुसूचित जाति के पद पर चयन हेतु निर्णय लेना उचित प्रतित होता है।

6/11/2026

प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी,
मखदुमपुर।